मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति का कार्यालय, मानगो
जमशेदपुर

(झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2000 की धारा 188 एवं मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम 2007 की कंडिका 7.1 के तहत् भवन प्लान की स्वीकृति)

परमिट संख्या:– 510/09 दिनांक 29/11/09

सेवा में,

एoपीoआरoनाय्यर
पिo स्वo पीo केo आरo नाय्यर
केरला पब्लिक स्कूल, रोड नo–15117 जवाहर नगर

महाशय,

आरo एसo प्लॉट सo 678,679,680, खाता सo 287 मौजा चकपी थाना सo 1641 पर आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में अपार्टमेंट / शैक्षिणक Ground floor + 3 Height 13.80 Duplex -------Unit- ---------Height कुल इकाई के प्लान की स्वीकृति निम्न शर्त्तों पर दी जाती है:–

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकरी एवं दास्तावेज में अंश भाग भी गलत पाये जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
2. स्वीकृति भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई / मंजिल की संख्या में वृद्वि नहीं होगी।जब तक इसकी विधिवत स्वीकृति नहीं ली जाएगी।
3. निर्माण के गुणवता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग / भारतीय मानक की विशिष्टियो के अनुरुप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रुपाकंण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञाप्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माण कार्ता पर होगी।
4. भुखण्ड के सामने चहारदीवारी का निर्माण लाइटिंग पोल की व्यवस्था पेभमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रुप से भवन उपनियम के अनुसार करना होगा।
5. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सुचना मानगो अoक्षेoसo कार्यलय को देनी होगी तथा प्लींट / भूमि तल पर कार्य आने के प्रस्ताव इसकी जॉच (दस दिनो के अदर) करने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जाएगा।
6. निर्माण कार्ता को अपार्टमेंट में समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
7. निर्माण करता को निजी ट्रांसफार्म की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विधुत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रुप में ध्वनि एवं प्रदुषण रहीत पयार्पत क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
8. प्रत्ये कतल पर समुचित क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। यदि अग्निशामक विभाग द्वारा कभी कोई विशेष निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन करना होगा।
9. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रवधान सुनिशचित रुप से करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50 प्रतिशत फ्लाई एश ब्रिक्श का प्रयोग करना होगा।
11. भवन निर्माण पुर्ण होने पर Completion Certificate के साथ मानगो अoक्षेoसo को सुचित करना होगा। तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
12. मानगो बिल्डींग वाई लोज 2007 एवं झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2005 में वर्णित अन्य सभी प्रवधानो कास पालन करना होगा।
13. भवन निर्माण के दौरान मानगो अoक्षेoसo द्वारा यदि कोई निर्देश दिया जाता है तो उस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
14. माननीय न्यालय द्वारा रोक लगाई विवादित भूमि / सरकारी भूमि / आदिवासी खाता के भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
15. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगना होगा, जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एवं ,खाता संख्या, रकबा, स्वीकृति भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृति तल एवं कुल स्वीकृत फ्लैटस आदि का विवरण अेना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लॉन की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करना होगी।
16. भवन में तडित चालक लगाना अनिर्वाय है।
17. भवन प्लॉन की स्वीकृत प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को उपरोक्त शर्तों के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।

29/11/09
सहायक अभियंता
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति

29.01.05
विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति

विशेष पदाधिकारी
मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति
जमशेदपुर

IMP
PERMISSION LETTER
TO CONSTRUCT